CARDIFF
CAERDYDD

मत देने के लिए पंजीकरण कराएं
सबसे आसान तरीक़ा है ऑनलाइन।

gov.uk/register-to-vote

मतदान के लिए पंजीकरण करने में केवल कुछ मिनट लगते हैं। यदि आप पंजीकृत नहीं हैं, तो आप मतदान नहीं कर सकते।

जवाब देने के लिए कृपया नीचे दिए गए विकल्पों में से एक चुनें।

- **gov.uk/register-to-vote** पर जाएं, या
- **02920 872087** पर कॉल करें, या
- फ़ॉर्म को पूरा करें और फिर इसे हमारे द्वारा प्रदान किए गए लिफ़ाफ़े में डालकर **डाक** से भेजें (डाक मुफ़्त है)।

जब आप चुनावी रजिस्टर में जुड़ जाएंगे, तो हम सूचित करेंगे।

भले ही आपने हाल ही में एक कैनवस संचार का जवाब दिया है, तब भी आपको इस फॉर्म को पूरा करने की आवश्यकता है।

अगर आप वेल्स के निवासी हैं (आमतौर पर रहते हैं) और आपकी उम्र 14 वर्ष या उससे अधिक है तो आप मतदान के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन आप 16 वर्ष की उम्र तक स्थानीय परिषद् चुनाव या सेनेड चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे और आप 18 वर्ष की उम्र तक UK संसद या पुलिस और अपराध आयुक्त (PCC) चुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपको निम्नलिखित में से एक होना चाहिए:

- ब्रिटिश या आयरिश नागरिक
- कॉमनवेल्थ नागरिक (जिसमें माल्टीज और साइप्रस शामिल हैं), जिन्हें यूके, चैनल आइलैंड्स या आइल ऑफ मैन में प्रवेश के लिए या रहने के लिए अनुमति प्राप्त हैं, या जिन्हें अनुमति की जरूरत नहीं है।
- विदेशी नागरिक जिन्हें यूके, चैनल आइलैंड या आइल ऑफ मैन में प्रवेश करने या रहने की अनुमति है, या जिन्हें अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
- यूरोपीय संघ (EU) नागरिक

यूके, चैनल आइलैंड्स या आइल ऑफ मैन में प्रवेश के लिए या रहने के लिए अनुमति (जिसे प्रवेश या रहने के लिए बाहर जाना भी कहते हैं) का संदर्भ कानूनी अप्रवासन स्टेटस से है।

इस फॉर्म को बड़े प्रिन्ट या अन्य फॉर्मेट में अनुरोध करने के लिए हमसे संपर्क करें।

ऑनलाइन जाएं

आप तरत और आसानी स **gov.uk/register-to-vote** पर इस फॉर्म को भर सकत हैं।

मतदान करने के लिए रजिस्टर करें।

1 आपका नाम और पता

पहला नाम

अंतिम नाम

आपका पता

पोस्टकोड

क्या आप दूसरे पते पर भी रहते हैं? कृपया टिक करें। ☐ नहीं ☐ हां

अगर हां, तो आपको अभी यह पता बताने की जरूरत नहीं है लेकिन बाद में हम और जानकारी पूछ सकते हैं।

फोन नं. (वैकल्पिक)

ईमेल (वैकल्पिक)

अगर आप ईमेल पता या फोन नंबर शेयर करते हैं तो आपके आवेदन को लेकर हम तुरंत और आसानी से आप से संपर्क कर सकते हैं।

अगर हमने कोई गलत जानकारी प्रिंट कर दी है, तो कृपया उसे काट कर सही जानकारी लिख दें।

2 पिछल 12 महीनो में अपना घर बदला हैं?

कृपया टिक करें। ☐ नहीं ☐ हां

अगर जवाब 'हां' है तो कृपया अपने पिछले घर का पता दीजिए जहां आप रहते थे और पता नहीं देने पर आपके आवेदन में देरी हो सकती है।

पोस्टकोड

अगर यह पता विदेश के घर का है, तो क्या आप UK में विदेशी मतदाता के रूप में पंजीकृत थे? कृपया टिक करें। ☐ नहीं ☐ हां

3 आपकी राष्ट्रीयता

(पेज 4 पर अधिक जानकारी)

कृपया अपनी राष्ट्रीयता बताएं। अगर आपके पास एक से ज्यादा राष्ट्रीयता है, तो कृपया सभी शामिल करें।

(आप अपनी राष्ट्रीयता नहीं जानते? कृपया सेक्शन 10 देखें)।

4 आपका अप्रवासन स्टटस

(पेज 4 पर अधिक जानकारी)

इस सेक्शन सिर्फ तब ही पूरा करें अगर आप निम्नलिखित देशों में से एक के EU नागरिक हैं:
ऑस्ट्रिया • चेक रिपब्लिक • जर्मनी • लातविया • स्लोवाकिया • बेल्जियम • एस्तोनिया • यूनान • लिथुआनिया • स्लोवेनिया • बुल्गारिया • फिनलैंड • हंगरी • नीदरलैंड • स्वीडन • क्रोएशिया • फ्रांस • इटली • रोमानिया

31 दिसंबर 2020 से क्या आपको लगातार यूके, चैनल आइलैंड्स या आइल ऑफ मैन में प्रवेश करने या रहने की अनुमति मिली है, या अनुमति की आवश्यकता नहीं है?

जवाब 'हां' में दीजिए अगर 31 दिसंबर 2020 या उससे पहले निम्नलिखित में से एक या एक से अधिक आपके लिए लागू हुआ था और अभी भी लागू है बिना किसी रुकावट के।

- EU सेटलमेंट योजना के तहत सेटल हुए या प्री-सेटल होने का स्टेटस, सिवाय इसके कि आपने परिवार में शामिल होने वाले सदस्य के रूप में आवेदन किया गया हो
- UK, चैनल आइलैंड्स या आइल ऑफ मैन में प्रवेश करने या रहने के लिए अनिश्चितकालीन या सीमित अनुमति
- UK, चैनल आइलैंड्स या आइल ऑफ मैन के निवासी है लेकिन अप्रवासन कंट्रोल से छूट प्राप्त है।

अगर इन प्रश्नों के लिए आपका जवाब 'हां' है और आप अपने अप्रवासन स्टेटस की शर्तों के तहत अनुमत अवधि के लिए UK में नहीं रहते थे, फिर भी आपको 'हां' विकल्प पर टिक करना चाहिए।

कृपया टिक करें। ☐ नहीं ☐ हां

5 आपकी जन्म तारीख (पेज 4 पर अधिक जानकारी)

D D M M Y Y Y Y

अगर आपको अपनी जन्म तारीख पता नहीं है तो कृपया निम्नलिखित में से एक चुनें।

14-15 ☐ 16-17 ☐ 18-75 ☐ 76 से ज्यादा उम्र ☐

(आपको अपनी जन्म तारीख पता नहीं है? कृपया अनुभाग 10 देखें)

6 आपका राष्ट्रीय जीवन बीमा क्रमाक (अगर आपकी उम्र 16 वर्ष या अधिक ह)

आपको यह क्रमांक अपनी वेतन पर्ची पर, या कर/टैक्स, पेंशन या लाभों के बारे में आधिकारिक पत्नों पर मिलेगा।

☐ अगर आपकी उम्र 16 वर्ष से कम है तो कृपया टिक करें।

(अपना राष्ट्रीय जीवन बीमा क्रमांक पता नहीं है? कृपया अनुभाग 10 देखें)।

7 अपना नाम बदल लिया है? (पेज 4 पर अधिक जानकारी)

कृपया अपना पिछला नाम बताएं जो आपने हाल ही में बदला है। (वैकल्पिक)

कृपया हमें वह तारीख बताएं जब आपने अपना नाम बदला था। (वैकल्पिक)

D D M M Y Y Y Y

8 खुला रजिस्टर (पेज 4 पर अधिक जानकारी)

खुला रजिस्टर चुनावी रजिस्टर का एक उद्धरण है, लेकिन इसका उपयोग चुनावों के लिए नहीं किया जाता है। इसकी खरीदी किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है और डायरेक्ट मार्केटिंग सहित कई उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है।

अगर आप नहीं चाहते कि आपका नाम और पता खुले रजिस्टर में शामिल हो तो कृपया टिक करें। ☐

अगर आपकी उम्र 16 वर्ष से कम है तो आपकी जानकारी खुले रजिस्टर में शामिल नहीं की जाएगी।

9 मतदान डाक या प्रॉक्सी द्वारा?

अगर आप मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का इरादा रखते हैं, तो इस अनुभाग को खाली छोड़ दें।

पोस्ट या प्रॉक्सी के माध्यम से वोट करने के लिए, आपको अनुपस्थित वोटिंग के लिए एक अलग आवेदन फॉर्म भरना होगा। अधिक जानकारी **gov.uk/how-to-vote** पर पाई जा सकती है, या फिर आपको कैसे वोट करना है आप हमें नीचे के विकल्प पर टिक करके बताएं और हम आपको इसके बारे में अधिक जानकारी भेजेंगे।

☐ पोस्ट द्वारा ☐ प्रॉक्सी द्वारा (कोई अन्य व्यक्ति आपकी ओर से मतदान करेगा)

10 आप अपनी राष्ट्रीयता, जन्म तारीख या राष्ट्रीय बीमा क्रमाक नही जानत हैं? कपया हम बताए क्यो नही जानत

अगर आप ये जानकारी प्रदान नहीं कर सकते हैं तो हम आपके आवेदन पर कार्रवाई करने से पहले हम आपसे अन्य प्रमाण/ सबूत मांग सकते हैं।

11 डिक्लेरेशन/घोषणा

मैं वर्तमान में इस पते पर रहता/रहती हूं। जहां तक मेरी जानकारी है, इस फॉर्म में दी गई जानकारी सत्य है।

मैं समझता/ समझती हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग चुनावी रजिस्टर में किया जाएगा।

मैं समझता/ समझती हूं कि अगर मैं आवश्यक होने पर पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं करता/करती हूं तो मुझे £80 का जुर्माना लग सकता है।

यह £80 का जुर्माना 14 या 15 वर्ष के बच्चों पर लागू नहीं होता है। मैं समझता/ समझती हूं कि इस फॉर्म में जानबूझकर गलत जानकारी देना अपराध है और दोषी पाए जाने पर मुझे छह महीने तक की कैद और/या असीमित जुर्माना हो सकता है।

हस्ताक्षर

आज की तारीख

D D M M Y Y Y Y

मतदान केंद्र पर मतदान करना

यूके संसद और पुलिस एवं अपराध आयुक्त (PCC) चुनावों में मतदान करने के लिए आपको अपने मतदान केंद्र पर फोटो आईडी दिखनी होगी। अगर आपके पास स्वीकृत फोटो आईडी नहीं है, तो आप निःशुल्क मतदाता पहचान दस्तावेज यानि मतदाता प्राधिकरण प्रमाणपत्न के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए, **gov.uk/how-to-vote/photo-id-youll-need** पर जाएं या हमसे संपर्क करें।

अगर आपको इस फॉर्म को भरने में सहायता की आवश्यकता है तो कृपया पेज नंबर 1 पर दिए गए विवरण का उपयोग करके हमसे संपर्क करें।

आपकी राष्ट्रीयता और अप्रवासन स्टटस

यूके, चैनल आइलैंड्स या आइल ऑफ मैन में प्रवेश करने या रहने की अनुमति (इसे प्रवेश करने या बने रहने के लिए छोड़ना भी कहा जाता है) कानूनी अप्रवासन स्टेटस पर निर्भर रहती है।

हमें आपकी राष्ट्रीयता के बारे में अतिरिक्त प्रमाण/ सबूत की आवश्यकता हो सकती है या हम सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार आपकी राष्ट्रीयता या अप्रवासन स्टेटस की जांच कर सकते हैं।

अनुभाग 4 'आपका आप्रवासन स्टेटस ' केवल पुलिस और अपराध आयुक्त चुनावों में मतदान करने के लिए आपकी पात्रता निर्धारित करती है। यह मतदान के लिए रजिस्ट्रेशन करने, या सेनेड या वेल्स में स्थानीय परिषद चुनावों में मतदान करने के लिए आपकी पात्रता निर्धारित नहीं करता है। अगर यह अनुभाग आप पर लागू होता है, तो हम सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर आपकी ऐतिहासिक राष्ट्रीयता या आपका ऐतिहासिक अप्रवासन स्टेटस जांच सकते हैं।

आपकी जन्म तारीख

अगर आप अपनी जन्म तारीख नहीं जानते हैं तो कृपया वह तारीख बताएं जो आपने आधिकारिक दस्तावेजों (उदाहरण के लिए, अपना पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस) पर लिखी है या किसी एक बॉक्स पर टिक करें। आपकी जन्म तारीख आपकी पहचान करती है, मतदान करने के लिए आपकी पात्रता की पुष्टि करती है और इसका उपयोग आपको ज्यूरी सेवा प्रदान करने के लिए बुलाने के लिए किया जा सकता है।

अपना नाम बदल लिया है?

उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आपने शादी कर ली हो और अपना नाम बदल लिया हो। आपको हमें अपने नाम बदलने का विवरण देने की ज़रूरत नहीं है लेकिन इससे हमें आपकी पहचान करने में मदद मिलेगी। अगर यह जानकारी नहीं दी गई है तो आपको अतिरिक्त दस्तावेजी प्रमाण/सबूत उपलब्ध कराने की आवश्यकता हो सकती है।

खला रजिस्टर

दो रजिस्टर हैं। क्यों? जनता से प्राप्त जानकारी का उपयोग करते हुए, पंजीकरण अधिकारी दो रजिस्टर रखते हैं - चुनावी रजिस्टर और खुला रजिस्टर (जिसे संपादित रजिस्टर भी कहा जाता है)।

चुनावी रजिस्टर में उन सभी के नाम और पते सूचीबद्ध होते हैं जिन्होंने सार्वजनिक चुनावों में मतदान करने के लिए रजिस्टर किया होता हैं। रजिस्टर का उपयोग चुनावी उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे यह सुनिश्चित करना कि केवल पात्र लोग ही मतदान कर सकें। इसका उपयोग कानून में निर्दिष्ट अन्य सीमित उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है, जैसे की:

- अपराध का पता लगाना (जैसे धोखाधड़ी)
- ज्यूरी सेवा के लिए लोगों को बुलाना
- क्रेडिट आवेदनों की जांच करना.

खुला रजिस्टर चुनावी रजिस्टर का एक उद्धरण है, लेकिन चुनाव के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसे कोई भी व्यक्ति, कंपनी या संस्था खरीद सकती है। उदाहरण के लिए, इसका उपयोग व्यवसायों और चैरिटी संस्थाओं द्वारा नाम और पते के विवरण की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। अगर आपकी उम्र 16 वर्ष या उससे अधिक है तो आपका नाम और पता खुले रजिस्टर में शामिल किया जाएगा, जब तक कि आप उन्हें हटाने के लिए नहीं कहते। खुले रजिस्टर से अपना विवरण हटाने से आपके वोट देने के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता है।

अगर आपकी उम्र 14 या 15 वर्ष है, तो आपको खुले रजिस्टर में शामिल नहीं किया जाएगा।

आपको चुनावी रजिस्टर में शामिल किया जाएगा, लेकिन आमतौर पर केवल चुनावी रजिस्ट्रेशन अधिकारी और उनके कर्मचारी ही आपके द्वारा प्रदान किए गए जानकारी को देख सकते हैं। आपकी जानकारी प्रकाशित होने वाले किसी भी रजिस्टर में शामिल नहीं की जाएगी।

चुनाव से लगभग छह सप्ताह पहले कुछ लोगों को उस चुनाव में मतदान करने वाले सभी लोगों की जानकारी की आवश्यकता होती है। अगर आप सेनेड या स्थानीय परिषद चुनाव की तारीख पर 16 वर्ष के होंगे, तो आपका नाम और पता चुनाव प्रबंधन करने वाले लोगों और उन उम्मीदवारों को दिया जाएगा जो मतदाताओं को जानकारी प्रदान करना चाहते हैं।

अगर आप चिंतित हैं कि रजिस्टर पर आपका नाम या पता होने से आपकी सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, तो आपके लिए अन्य विकल्प भी उपलब्ध हो सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में, आप रजिस्टर पर अपना नाम और पता दिखाए बिना रजिस्टर कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। 1ले पेज पर हमारा पता दिया हुआ है। आप दोनों रजिस्टरों के बारे में और उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में अधिक जानकारी **gov.uk/register-to-vote** पर प्राप्त कर सकते हैं।

गोपनीयता स्टटमट/कथन

चुनावी रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियंत्रक होता है। इस आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करने का उनका वैध आधार इसलिए सही है क्योंकि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1983 और संबंधित कानून में निर्धारित सार्वजनिक हित में कार्य करने के लिए प्रसंस्करण आवश्यक होता है।

चुनावी रजिस्ट्रेशन अधिकारी को कानूनी तौर पर आपकी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रूप से संसाधित करना और डेटा संरक्षण कानून का अनुपालन करना आवश्यक होता है।

अगर आपने खुले रजिस्टर से बाहर निकलने का विकल्प चुना है, तो आपका नाम और पता केवल चुनावी उद्देश्यों (चुनावी रजिस्टर डेटा अन्य डेटा स्रोतों के साथ के साथ मैच करने हेतु) और कानून में निर्दिष्ट अन्य सीमित उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। कानून आपकी जानकारी को लोकतांत्रिक सहभागिता गतिविधियों (राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और एजेंटों द्वारा), अपराध का पता लगाने, ज्यूरी को बुलाने और क्रेडिट आवेदन पहचान जांच के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है।

अगर आपने खुले रजिस्टर से बाहर निकलने का फैसला नहीं किया है तो आपका नाम और पता कोई भी खरीद सकता है और डायरेक्ट विपणन सहित कई उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

कृपया gov.uk/register-to-vote पर गोपनीयता नोटिस देखें या इसकी कॉपी/प्रति के लिए अनुरोध करने के लिए चुनावी रजिस्ट्रेशन अधिकारी से संपर्क करें।

electoralservices@cardiff.gov.uk 029 2087 2087

फॉर्म भरत समय कोई समस्या?

इस फॉर्म में कुछ समझने या फॉर्म पूरा करने के लिए मदद के लिए - या इसे बड़े प्रिन्ट या दूसरे फॉर्मैट में प्राप्त करने का अनुरोध करने के लिए हमसे संपर्क करें। 1ले पेज पर हमारा पता दिया हुआ है।